छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 05/2025/परीक्षा/दिनांक 17/11/2025 रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 19/11/2025

::विज्ञापन::

सहायक प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25/11/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/12/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/12/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **चिकित्सा शिक्षा विभाग** के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक, विभिन्न विषयों** पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	सहायक प्राध्यापक											
1	**एनाटॉमी**	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल – 18 A (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7000
	बैकलॉग	-	1	1	1	-	-	-	-		3	
2	**फिजियोलॉजी**	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	
	बैकलॉग	-	-	1	1	-	-	-	-		2	
3	**बायोकेमेस्ट्री**	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	बैकलॉग	-	-	2	-	-	-	-	-		2	
4	**फार्माकोलॉजी**	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	-	2	1	-	-	-	-		3	

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5	**माईक्रोबायोलॉजी**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल – 18 A (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7000
	बैकलॉग	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**	
6	**पैथोलॉजी/ब्लड बैंक**	**3**	**1**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**7**	
7	**कम्युनिटी मेडिसिन**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**4**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2**	
8	**फोरेंसिक मेडिसिन**	**4**	**-**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	
9	**मेडिसिन**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**2**	
	बैकलॉग	**-**	**2**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**5**	
10	**सर्जरी**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**3**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**		**3**	
11	**अस्थिरोग**	**2**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**4**	
	बैकलॉग	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2**	
12	**शिशुरोग**	**2**	**1**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2**	
13	**रेडियोथेरेपी (रेडियेशन अंकोलॉजी)**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	
	बैकलॉग	**-**	**-**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4**	
14	**रेडियोथेरेपी-मेडिकल अंकोलॉजी**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
15	**रेडियोथेरेपी-निश्चेतना**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
16	**रेडियोथेरेपी-सर्जिकल अंकोलॉजी**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
17	**एपियोडर्मियोलॉजिस्ट बैकलॉग**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
18	**कार्डियोलॉजी**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	
19	**कार्डियोलॉजी-रेडियोलॉजिस्ट**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
20	**कार्डियोलॉजी-मेडिसिन**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
21	**कार्डियोवेस्कुलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	
22	**थोरेसिक सर्जरी-क्रिटिकल केयर**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
23	**थोरेसिक सर्जरी-जनरल मेडिसिन**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
24	**थोरेसिक सर्जरी-शिशुरोग**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
25	**क्रिटिकल केयर**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
26	**थोरेसिक सर्जरी-कार्डियेक निश्चेतना**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
27	**ट्रामा यूनिट-सर्जरी**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
28	**नेत्ररोग**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	
	बैकलॉग	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**	
29	**ई.एन.टी.**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**	
30	**प्रसूति एवं स्त्रीरोग**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**1**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4**	
31	**रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी)**	**3**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**5**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**		**5**	
32	**चर्म एवं रतिज रोग**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	
33	**निश्चेतना**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 (OA/OL)**	**4**	
	बैकलॉग	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**	
34	**मनोरोग**	**2**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	
	बैकलॉग	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**	
35	**टीबी एण्ड चेस्ट**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
	बैकलॉग	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**	
	कुल योग	**45**	**21**	**43**	**16**						**125**	

Abbreviations used : OA=One Arm, OL=One Leg

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।

3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (OA/OL) हीं मान्य होंगे। OA/OL श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।

5. **रिक्तियों में आरक्षण:-**

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) **पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-**

(i) **पद का नाम :-** सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय)

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) **वेतन मेट्रिक्स :-** वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल-18 A

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(A) **ESSENTIAL ACADEMIC QUALIFICATIONS:-**

As per National Medical Commission, New Delhi, Notification and "In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations."

(i) **Academic Qualifications for Faculty in Medical Broad specialties, Surgical Broad specialties, Medical super Specialties & Surgical super specialties**

Table A

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Academic qualifications during transition period*
1.	Anatomy	M.D./M.S./DNB (Anatomy)/ MSc (Medical Anatomy) with PhD in Medical Anatomy	Not applicable
2.	Anaesthesiology	M.D./DNB (Anaesthesiology)	Not applicable
3.	Biochemistry	M.D./DNB (Biochemistry)/ MSc (Medical Biochemistry) with PhD in Medical Biochemistry	Not applicable
4.	Community Medicine	M.D./DNB (Community Medicine)/ M.D. (Community Health Administration)	Not applicable

5.	Dermatology, Venereology and Leprosy	M.D./DNB (Dermatology, Venereology and Leprosy)	Not applicable
6.	Forensic Medicine and Toxicology	M.D./DNB (Forensic Medicine and Toxicology)	Not applicable
7.	Medicine	M.D./DNB – Medicine (General Medicine)	Not applicable
8.	Master of Public Health (Epidemiology)	MPH - Master of Public Health in (Epidemiology)	M.D./DNB (Community Medicine)
9.	Microbiology	M.D./DNB (Microbiology)/ MSc (Medical Microbiology) with PhD in Medical Microbiology	Not applicable
10.	Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
11.	Pathology/Blood Bank	M.D./DNB (Pathology)	Not applicable
12.	Pharmacology	M.D./DNB (Pharmacology)/ MSc (Medical Pharmacology) with PhD in Medical Pharmacology	Not applicable
13.	Physiology	M.D./DNB (Physiology)/ MSc (Medical Physiology) with PhD in Medical Physiology	Not applicable
14.	Psychiatry	M.D./DNB (Psychiatry)	Not applicable
15.	Radiotherapy (Radiation oncology)	M.D./DNB - Radiotherapy (Radiation oncology)	Not applicable
16.	Radio-Diagnosis (Radiology)	M.D./DNB (Radio-Diagnosis)	Not applicable
17.	TB & Chest (Respiratory Medicine)	M.D./DNB (Respiratory Medicine)	Not applicable
18.	Cardiology - Radiologist	M.D./DNB (Radio-Diagnosis)	Not applicable
19.	Cardiology - Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable
20.	Thoracic surgery - General Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable
21.	Radiotherapy - Anaesthesia	M.D./DNB (Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
22.	Surgery	M.S./DNB – Surgery (General Surgery)	Not Applicable
23.	Obstetrics and Gynaecology	M.D./M.S./DNB (Obstetrics and Gynaecology)	Not Applicable
24.	Ophthalmology	M.S./M.D./DNB (Ophthalmology)	Not Applicable
25.	Orthopaedics	M.S./DNB (Orthopaedics)	Not Applicable
26.	Otorhinolaryngology/E.N.T.	M.S./DNB (Otorhinolaryngology)	Not Applicable
27.	Trauma Unit – Surgery	M.S./DNB – Surgery (General Surgery)	Not Applicable
28	Thoracic Surgery - Cardiac Anaesthesia	D.M./DNB/DrNB (Cardiac Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
29	Cardiology	D.M./DNB/DrNB (Cardiology)	Not Applicable
30	Critical Care (Critical Care Medicine)	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology)/ M.D./DNB- Medicine (General Medicine)/ M.D./DNB (Respiratory Medicine)/ M.D./DNB (Emergency Medicine)/ M.D./DNB (Pulmonary Medicine)
31	Radiotherapy (Medical Oncology)	D.M./DNB/DrNB Medical Oncology	M.D./DNB (General Medicine)/ M.D./DNB (Paediatrics)/ M.D./DNB (Radiation Oncology)

32	Thoracic surgery- Critical care	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology)/ M.D./DNB- Medicine (General Medicine)/ M.D./DNB (Respiratory Medicine)/ M.D./DNB (Emergency Medicine)/ M.D./DNB (Pulmonary Medicine)/
33	Thoracic surgery – Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
34	Radiotherapy **-** Surgical Oncology	M.Ch./DNB/DrNB (Surgical Oncology)	Not applicable
35	CTVS	M.Ch./DNB/DrNB (CTVS)	Not Applicable
*While considering Academic Qualification during transition period, clause no. 12 of NMC Notification dated 30.06.2025 is to be referred.			

(ii) Experience, Research and other Requirements

{Doctor of Medicine (M.D.) and Master of Surgery (M.S.)}

Table B

S. No.	Posts	Academic Qualification	Teaching Experience, Research and other Requirements
1.	**Assistant Professor**	**As per MCI/NMC Gazette**	**a)** One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized medical institution specified as per NMC Norms. **Note 1.)** The experience gained by a Tutor/Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a postgraduate degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor. **Note 2.)** The Experience gained by a Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a master of Science and Doctor of Philosophy degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor; or **b)** Specialist Medical Officers of the Armed Forces having at least one year teaching experience or two years of clinical experience after obtaining the requisite postgraduate qualification in the concerned subject. **c)** a Non – teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or **d)** diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or **e)** diploma holders working as Specialists or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government Medical institution running National Board of Examination and Medical Science recognized teaching programme having cumulative experience of six years

(iii) Experience, Research and other Requirements

{Doctorate of Medicine (D.M.) and Master of Chirurgiae (M.Ch.)}

Table C

S. No.	Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
1	**Assistant Professor**	**As per MCI/NMC Gazette**	Have completed the Basic Course in Biomedical Research from recognized medical institution designated by the commission.

(B) The candidate/applicant must have a live registration with the State Medical Council/Medical Council of India/National Medical Commission for the relevant specialty.

(अ) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना के अनुसार सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर) के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में कुल पदों की संख्या 30% तक गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उपर्युक्त गैर-चिकित्सा शिक्षकों और सामुदायिक चिकित्सा विभाग (कम्युनिटी मेडिसिन) में सांख्यिकीविद (Statistician) के पास चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियमों में आवश्यकताओं के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस संबंधित विषय में योग्यता होनी चाहिए।

(i) मेडिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी, सर्जिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी, मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एवं सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटी संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यताएं :-

तालिका अ

स. क्र.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता*
1.	एनाटॉमी	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (एनाटॉमी)/ एमएससी (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पीएचडी	लागू नहीं
2.	एनेस्थिसियोलॉजी (निश्चेतना)	एम.डी./डीएनबी एनेस्थिसियोलॉजी (निश्चेतना)	लागू नहीं
3.	बायोकेमिस्ट्री	एम.डी./डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री)/ एमएससी (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी	लागू नहीं
4.	कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)/एम.डी. (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	लागू नहीं
5.	चर्म एवं रतिज रोग (त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	एम.डी./डीएनबी चर्म एवं रतिज रोग (त्वचाविज्ञान रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	लागू नहीं
6.	फोरेंसिक मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी फोरेंसिक मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	लागू नहीं
7.	मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)	लागू नहीं
8.	एपियोडेमियालाजिस्ट (मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ – महामारी विज्ञान)	एमपीएच-एपियोडेमियालाजिस्ट (महामारी विज्ञान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	एम.डी./डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)
9.	माइक्रोबायोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी) मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी के साथ एमएससी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी)	लागू नही
10.	शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
11.	पैथोलॉजी/ब्लड बैंक (विकृति विज्ञान)	एम.डी./डीएनबी पैथोलॉजी/ब्लड बैंक (विकृति विज्ञान)	लागू नहीं
12.	फार्माकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फार्माकोलॉजी)/ एमएससी (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ मेडिकल फार्माकोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
13.	फिजियोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फिजियोलॉजी)/ एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
14.	मनोरोग (मनोचिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी मनोरोग (मनोचिकित्सा)	लागू नहीं
15.	रेडियोथेरेपी (विकिरण अंकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी रेडियोथेरेपी (विकिरण अंकोलॉजी)	लागू नहीं
16.	रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	एम.डी./डीएनबी रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	लागू नहीं
17.	टी.बी. एण्ड चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी टी.बी. एण्ड चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)	लागू नहीं
18.	कार्डियोलॉजी - रेडियोलॉजिस्ट	एम.डी./डीएनबी रेडियोडायग्नोसिस	लागू नहीं

		(रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	
19.	कार्डियोलॉजी – मेडिसिन	एम.डी./डीएनबी - मेडिसिन (सामान्य मेडिसिन)	लागू नहीं
20.	थोरेसिक सर्जरी – सामान्य मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी - सामान्य मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)	लागू नहीं
21.	रेडियोथेरपी – निश्चेतना (एनेस्थिसिया)	एम.डी./डीएनबी निश्चेतना (एनेस्थिसियोलॉजी)	लागू नहीं
22.	सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	एम.एस./डीएनबी सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	लागू नहीं
23.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	लागू नहीं
24.	नेत्ररोग (नेत्र विज्ञान)	एम.डी./एम.एस./डीएनबी नेत्ररोग (नेत्र विज्ञान)	लागू नहीं
25.	अस्थि रोग (हड्डी रोग)	एम.एस./डीएनबी अस्थि रोग (हड्डी रोग)	लागू नहीं
26.	ईएनटी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	एम.एस./डीएनबी ईएनटी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	लागू नहीं
27.	ट्रामा यूनिट – सर्जरी	एम.एस./डीएनबी (सर्जरी)	लागू नहीं
28.	थोरेसिस सर्जरी – कार्डियक निश्चेतना (एनेस्थीसिया)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी कार्डियक निश्चेतना (एनेस्थीयोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
29.	कार्डियोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोलॉजी)	लागू नहीं
30.	क्रिटिकल केयर (क्रिटिकल केयर मेडिसन)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)/ एम.डी./डीएनबी (मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी टीबी चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (आपातकालीन चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (पल्मोनरी चिकित्सा)
31.	रेडियोथेरेपी – मेडिकल अंकोलॉजी (मेडिकल अंकोलॉजी)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी मेडिकल अंकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (विकिरण अंकोलॉजी)
32.	थोरेसिक सर्जरी - क्रिटिकल केयर	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)/ एम.डी./डीएनबी (मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी टीबी चेस्ट (श्वसन मेडिसिन)/ एम.डी./ डीएनबी (आपातकालीन मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी (पल्मोनरी मेडिसिन)
33.	थोरेसिक सर्जरी – शिशुरोग	एम.डी./डीएनबी शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
34.	रेडियोथेरेपी–सर्जिकल अंकोलॉजी (रेडियोथेरेपी-सर्जरी)	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी रेडियोथेरेपी-सर्जिकल अंकोलॉजी (रेडियोथेरेपी-सर्जरी)	लागू नहीं
35.	कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी)	लागू नहीं
* संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता को विचारण क्षेत्र में लेते समय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 की कंडिका 12 को संदर्भ में लिया जाएगा।			

(ii) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम. डी.) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) के लिए अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं

तालिका ब

स. क्र.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएँ
1	सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार	**(क)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** टयूटर/प्रदर्शक जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। **नोट 2:** डेमोंस्ट्रेटर (प्रदर्शक) जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगाः या

			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। **(ग)** कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशिलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उनके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीबीआर) पूरा करना होगाःया **(घ)** वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में नियुक्त किया गया हो तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता होःया **(ड)** वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।

(iii) डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) और मास्टर ऑफ चिरूर्गिया (एम.सीएच.) के लिए अनुभव, शोध और अन्य आवश्यकताएं

तालिका स

स. क्र.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण एवं शोध अनुभव
1	सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार	आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

(ब) अभ्यर्थी/आवेदक का संबंधित स्पेशियलिटी के राज्य मेडिकल कौंसिल/मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

नोटः- **(क)** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के अनुसार विभिन्न स्पेशियलिटी में सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक अर्हता में प्राथमिकता शैक्षणिक योग्यता को दिया जावेगा, यदि शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) के साथ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तब कि स्थिति में उक्त स्थान पर संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification during transition period) को मान्य किया जावेगा।

(ख) उपरोक्तानुसार यदि कुछ स्पेशियलिटी में शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) तथा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification during transition period) के एक-एक अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तब कि स्थिति में वरियता शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) वाले अभ्यर्थी को दिया जावेगा।

(3) **परिवीक्षा अवधिः-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) **निर्धारित आयु सीमाः-**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) **आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी।**

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) **जाति प्रमाण पत्रः-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) **(i)** छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ‘‘शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार’’ प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ‘‘सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव’’ का प्रमाण-पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ‘‘सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता’’ का प्रमाण-पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ‘‘अनापत्ति प्रमाण-पत्र’’ सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ‘‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’’ प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया:-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित की जाएगी।

(iii) लिखित परीक्षा आयोजन की स्थिति में परीक्षा केन्द्र रायपुर होगा।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं नि:शक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य से स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हे परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ती के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्टि किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(iii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों/विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद/विषय हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान:-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन **परीक्षा/साक्षात्कार** में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(19) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-एक

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) **ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।**

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-**

- **(i)** प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
- **(ii)** ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- **(iii)** पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

- **(i)** आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- **(ii)** जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- **(iii)** किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- **(iv)** कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- **(v)** ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मूल पहचान पत्र जैसे – मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~